प्रेषक,

डा0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ, दिनांक 18 नवम्बर, 2016

विषय :- खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु खनन पट्टों के विवरण एवं परिवहन प्रपत्रों के ऑन लाइन प्रबन्धन के सम्बन्ध में।

महोदय,

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित खनिज/उपखनिज के पट्टों का प्रबन्धन online करने के लिये **upmines.com** पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर विभागीय अधिकारियों /कर्मचारियों के लिये विस्तृत सूचनायें एवं ऑकडे उपलब्ध हैं। इसके साथ ही जन सामान्य के लिये भी कुछ विशेष सूचनायें उपलब्ध करायी गयी है।

(2) जिला प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों के लिये लागिन (Login) करने के उपरान्त सम्बन्धित जिले के खनिज/उपखनिज के पट्टों, पट्टाधारकों, पट्टा क्षेत्र आदि का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि परिवहन प्रपत्रों (एम0एम0-11, फार्म-सी, फार्म-जी) के स्टॉक, पट्टाधारकों को जारी किया जाना एवं पट्टाधारकों द्वारा वाहनों को प्रपत्र आदि जारी किये जाने सम्बन्धी विवरण भी online कर दिया गया है।

(3) उपरोक्त online portal के अतिरिक्त **up_mine** नाम से एक Mobile App भी विकसित किया गया है जो Google Play Store पर उपलब्ध है तथा जिसे किसी भी Android Mobile पर download करके संचालित किया जा सकता है। इस Mobile App में भी उपरोक्त विवरण संक्षिप्त रूप से उपलब्ध है। Mobile App के माध्यम से जिला प्रशासन/पुलिस/ विभागीय अधिकारियों द्वारा वाहनों की जॉच के समय **मौके पर ही** परिवहन प्रपत्र एम0एम0-11 एवं फार्म-सी की वैधता की पुष्टि की जा सकती है।

(4) विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा ठेकेदार के माध्यम से खनिज/उपखनिज की आपूर्ति प्राप्त करते समय आपूर्तिकर्ता द्वारा अपने बिल के साथ परिवहन प्रपत्र संलग्न किया जाता है। इस प्रपत्र की वैधता की पुष्टि करने के लिये सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को प्रपत्र जारी करने वाले जिले को प्रपत्र भेजकर पुष्टि करायी जाती है जिसमें काफी समय लगता है। उपरोक्त web portal तथा Mobile App के माध्यम से सम्बन्धित कार्यदायी संस्था, आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवहन प्रपत्र के वैधता की पुष्टि स्वयं online की जा सकेगी।

(5) सम्बन्धित जिले को अन्य सूचनाओं तथा यह सूचना भी नियमित रूप से प्राप्त होती रहेगी कि कौन सा पट्टा क्षेत्र रिक्त है और कौन सा पट्टा क्षेत्र भविष्य में किस तिथि को रिक्त होने वाला है।

उपरोक्त web portal तथा Mobile App पूर्ण रूप से क्रियाशील हो चुका है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.12.2016 से समस्त जिलों को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से परिवहन प्रपत्र की आपूर्ति online प्रबन्धन के माध्यम से ही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-3209(1)/86-2016 तद्दिनॉकित।

प्रतिलिपि

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव, महोदय के अवलोकनार्थ।

3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

6- समस्त जनपदीय खान अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि जिले से सम्बन्धित विवरण को पुनः एक बार जॉच कराकर इसकी पुष्टि कर ले ताकि उपरोक्त तिथि के बाद जिलों को परिवहन प्रपत्रों की आपूर्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।